राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 63/2007 दिनांक 21.02.07 की कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 63 वीं बैठक डॉ मनजीत सिंह, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग , राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2007 को कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में सम्पन्न हुई । बैठक में नगर पालिका चित्तौडगढ के प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निम्न सदस्यों एवं अन्य अधिकारीगणों ने भाग लिया :-

1 श्री ओ०पी० हर्ष ,
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज०, जयपुर — सदस्य

2 श्री एस०सी० महणावत,
मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर — सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1 श्री अरुण चतुर्वेदी, उप नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
2 श्रीमती इन्दिरा, उप नगर नियोजक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।

बैठक में प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

<u>स्पेशल एजेण्डा सं० 2/ यूडीआर/ चित्तौडगढ (63/21.02.2007)</u>

<u>चित्तौडगढ नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम चित्तौडगढ के खसरा सं० 3120, रकबा 0.70 या 0.4666 हेक्टयर भूमि का कृषि भूमि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक-महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत - आवेदक मैसर्स हिमांशु सोसायटी, उदयपुर जरिये सचिव श्री प्रवीण खान पिता श्री हसन खान ।</u>

प्रस्तावित प्रकरण को अध्यक्ष महोदय समिति के निर्देशानुसार बैठक में प्रस्तुत किया गया । प्रकरण पर विचार किया गया तथा नोट किया कि प्रस्तावित भूमि गांधीनगर सेक्टर-5 चित्तौडगढ के पूर्व दिशा में स्थित है। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चित्तौडगढ, के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है एवं स्वामित्व पेटे है ।

समिति द्वारा निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये, यथा :-

1 वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर द्वारा आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फिट (मध्य से 30 फिट भूमि) एवं आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित 20 फिट सड़क को न्यूनतम 30 फिट छुड़वाते हुये आवेदित भूमि का परिधि का नियमन शर्तों से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की गई है।
2 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौडगढ द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
3 बैठक के दौरान समिति द्वारा मुख्य सड़क से आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 60 फीट उपलब्ध होने के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि मुख्य सड़क से आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट मौके पर उपलब्ध होना है।

समिति द्वारा आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखने हेतु सड़क की मध्य से 30 फीट भूमि एवं दक्षिण दिशा में स्थित सड़क को छोड़ते हुये शेष भूमि का **कृषि निर्दिष्ट क्षेत्र से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक** (शैक्षणिक-महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौडगढ द्वारा मुख्य सड़क से आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट मौके पर सुनिश्चित किया जावे।
2 प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखने हेतु सड़क के मध्य से 30 फीट एवं दक्षिण दिशा में स्थित सड़क को न्यूनतम 30 फीट रखने हेतु सड़क के मध्य से 15 फीट भूमि छोड़ने हेतु आवश्यक भूमि नगर पालिका, चित्तौडगढ को निःशुल्क समर्पित करनी होगी।
3 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौडगढ द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त

4 यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
5 अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स अनुसार सन्तोषजनक ढंग से किया जाना सुनिश्चित जाय।
6 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी से वास्तविक बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य नियमानुसार [illegible] शुल्क की राशि वसूल की जावेगी।
7 शहरी विकास से सम्बन्धित नियमों जैसे सब डिविजन रूल्स, बिल्डिंग बाईलाज आदि की पालना नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वयं के स्तर पर करना सुनिश्चित किया जावेगा।

अन्त में बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के क्रमांक 1401/ [illegible]/07 दिनांक 20.03.2007 के द्वारा अनुमोदित है।

— Sd —

मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: टीपीआर : 1093 / एसएलयूसी/चित्तौड़गढ़ /02/07/4981 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2 शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निदेशक , स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर ।
5 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़।

26.3.07

मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति,
राजस्थान, जयपुर।